<u>न्यायालयः— अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म०प्र०</u> समक्ष—डी०सी०थपलियाल

1

प्रकरण क्रमांक 23 / 14 वैवाहिक

श्रीमती नारायणी बाई पत्नी संतोष आयु 24 साल पुत्री बिजयबहादुर सिंह जाति कुशवाह हाल निवासी छत्तर पुरा वार्ड न 1 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

-----आवेदक

बनाम

संतोष कुमार पुत्र श्री प्रहलाद सिंह आयु 25 वर्ष निवासी वार्ड न. 5 लक्ष्मण तलैया के पास गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

-----अनावेदक

आवेदिका द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता। अनावेदिक द्वारा श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता।

//नि र्ण य// // आज दिनांक को पारित किया गया //

- 01. आवेदिका एवं अनावेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 13(ख) हिंदू विवाह अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है जिसमें उभयपक्षों की आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका की गई है।
- 02. प्रस्तुत आवेदनपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि आवेदिका नारायणी का विवाह अनावेदक संतोष के साथ गोहद में वर्ष 2009 में सम्पन्न हुआ था। विवाह के उपरांत दोनों पित पत्नी के रूप में रहे। विवाह के एक वर्ष तक दोनों के संबंध में अच्छे रहे, किन्तु एक वर्ष बाद दोनों के मध्य झगडा फसाद शुरू हो गया और एक दूसरे के प्रगति मामलेवाजी प्रारंभ हो गई। तभी से एक दूसरे से अलग रह रहे है। दोनों के मध्य अधिक समय

सुखपूर्वक एवं अच्छे संबंध स्थापित नहीं हो सकते है और उनका जीवन अभी काफी लम्बा है। ऐसी दशा में काफी सोच समझकर एवं बिना डर व दबाव के एक दूसरे से स्वेच्छया पूर्वक अलग रहना उनके द्वारा तय किया गया है और सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की कार्यवाही चाहते है। शादी के समय जो भी दान दहेज दिया गया था वह दोनों ने आपस में प्राप्त कर लिया है कोई राशि बकाया नहीं है। आवेदनपत्र को न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बताते हुए आपसी सहमति के आधार पर उनके बीच हुए विवाह दिनांक 28.04.2009 को विच्छेदित किए जाना और वैवाहिक संबंधों से मुक्त रहने की डिकी पारित किए जाने का निवेदन किया है।

03. प्रस्तुत आवेदनपत्र के संबंध में विचारणीय प्रश्न है यह है कि :— क्या आपसी सहमति के आधार पर धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत डिकी पारित की जा सकती है?

सकारण निष्कर्ष

- 04. आपसी सहमति के आधार पर प्रस्तुत उपरौक्त याचिका जो कि दिनांक 10.04. 2014 को न्यायालय के समक्ष पेश हुई है। उक्त याचिका के साथ उभय पक्षकारों के शपथ संलग्न है और याचिका में उसके फोटो चश्पा है तथा दोनों के हस्ताक्षर है। आवेदन पत्र पेश होने के उपरांत पक्षकार निरंतर न्यायालय के समक्ष उपस्थिति रहे है, इस दौरान भी पक्षकारों के मध्य आपसी सलाह समझौता होने के कोई आसार नहीं रहे है।
- 05. प्रकरण में आवेदिका नारायणी बाई तथा अनावेदक संतोष जो कि दोनों ही आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद करने हेतु सहमत पक्षकार है। दोनों के कथन लेखबद्ध किए गए। उनके कथनों में स्पष्ट रूप से यह बात आई है कि वर्ष 2009 में शादी होने के उपरांत एक वर्ष तक ही वह ठीक से रहे इसके उपरांत वर्ष 2010 से वह पृथक—पृथक रह रहे है। इस प्रकार लगभग चार वर्ष के अंतराल से आवेदिका एवं अनावेदक एक दूसरे से पृथक पृथक रह रहे है, जैसा कि उक्त साक्षियों के कथनों से स्पष्ट है उनके बीच किसी प्रकार आपसी सलाह समझौता होने अथवा उनका साथ रह पाना भी संभव नहीं लगता है। दोनों ही पक्षकार बालिक है तथा अपना भला—बुरा समझने में सक्षम है।
- 06. उपरौक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र जो कि आपसी सहमित के आधार पर विवाह विच्छेद की याचना उनके द्वारा की गई है और इस संबंध में याचिका पेश हुई है कि 6 माह व्यतीत होने के उपरांत भी उनके मध्य आपसी सलाह समझौते की कोई संभावना नहीं है। पक्षकार 4 वर्षों से एक दूसरे से पृथक रह रहे है।

3 प्र०कं० २३/१४ वैवाहिक

विचारोपरांत पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत विवाह विच्छेद हेतु याचिका स्वीकार करते हुए इस संबंध में निम्न आशय की आज्ञप्ति पारित की जाती है—

- 1. आवेदिका नारायणी बाई एवं आवेदक संतोष के मध्य दिनांक 28.04.2009 को सम्पादित विवाह आपसी सहमति के आधार पर विच्छेदित किया जाता है।
- 2. पक्षकार वैवाहिक संबंधों से मुक्त रहेगें।
- उभय पक्ष अपना अपना वाद व्यय बहन करेगें। तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर पारित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी0थपलियाल) अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड (डी0सी0थपलियाल) अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड